कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती।

पत्रांकः /नि0अनु0/जि0पं0/2020–21 दिनांक : .2020

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना

जिला पंचायत श्रावस्ती के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों एवं अन्य समस्त सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित कार्यों के निर्माण हेतु ऑनलाइन पुनः ई–निविदाएँ दिनांकः 10.09.2020 सायं 5:00 बजे तक **https://etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाती हैं। उक्त निविदाएँ दिनांकः 04.09.2020 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांकः 10.09.2020 सायंः 5:00 बजे तक सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती हैं तथा अपलोडेड निविदाओं की टेक्निकल बिड दिनांकः 11.09.2020 को अपरान्ह 02:00 बजे से निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। कार्य की निविदा के साथ धरोहर/जमानत धनराशि के रूप में कॉलम–7 में अंकित धनराशि डाकघर की एन0एस0सी0/राष्ट्रीय बैंक की एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रावस्ती के नाम से बन्धक हो, लगाई जाएगी। निविदा सम्बन्धी नियम, शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय जिला पंचायत, श्रावस्ती अथवा उपरोक्त वेबसाइट पर की जा सकती है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	माप (लम्बाई किमी0 में/संख्या अदद में)	कार्य की लागत जी0एस0टी0 सहित (रूपये में)	धरोहर धनराशि (रूपये में)	जी0एस0 टी0 सहित निविदा मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिरसिया	हेमपुर	हेमपुर चमरपुरवा मोड़ से बड़रहवा बार्डर तक खडन्जा एवं 1 अदद पुलिया निर्माण।	1.000/1 nos	1968500	196850	2360	2 माह
2	इकौना	मलौना खसियारी	मजरा बसन्तपुरवा पक्की रोड से बलरामपुर बार्डर तक खडन्जा एवं पुलिया निर्माण।	0.500/1 nos	1300000	130000	1180	2 माह
3	सिरसिया	बिशुनापुर	गुलरा–बरगदवा पक्की सड़क से बिशुनापुर जाने वाले मार्ग पर खड़न्जा कार्य एवं 1 अदद पुलिया निर्माण।	0.800/1 nos	1639000	163900	2360	2 माह
4	सिरसिया	सचौली	सचौली पक्की सड़क चौराहे से नहर सं0मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कार्य।	0.950	1663000	166300	2360	2 माह
5	सिरसिया	लक्ष्मनपुर	ग्राम मितुहारिया से ग्राम लक्ष्मनपुर तक खड़न्जा कार्य।	1.100	1902000	190200	2360	2 माह
6	सिरसिया	फतेहपुर	फतेहपुर मजरा पक्की रोड से ग्राम भरथाकलॉ तक लेपन कार्य।	0.250	1439000	143900	1180	2 माह
7	जमुनहा	शिकारी चौडा	शिकारी चौडा में भिनगा जाने वाली पक्की सडक से ऐठा सम्पर्क मार्ग पर पेंटिग कार्य	0.220	1396200	139620	1180	2 माह
8	हरिहरपुर रानी	वर्गा–वर्गी	वर्गा–वर्गी के पोखरा पक्की सडक से वर्गा गॉव तक लेपन रोड निमार्ण।	0.217	1264800	126480	1180	2 माह
9	हरिहरपुर रानी	कोकल	कोकल–मल्हीपुर सम्पर्क मार्ग से शिवगढ कला सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य।	0.300	1726000	172600	2360	2 माह
10	हरिहरपुर रानी	गजोबरी	गजोबरी पी0डब्लू0डी0 सडक से गजोबरी गॉव के पूरब ट्रान्फार्मर तक लेपन कार्य।	0.230	1421000	142100	1180	2 माह

आवश्यक नियम व शर्तें :–

1. निविदा ई–टेण्डरिंग प्रणाली से क्रय किए जाते समय टेण्डर शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत श्रावस्ती के पक्ष में देय हो अथवा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–भिनगा, जनपद श्रावस्ती में स्थित खाता सं0–3186658865 एफ0आई0सी0 कोड– CBIN0284270 में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत श्रावस्ती के नाम जमा कर उसकी स्कैन कॉपी ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा ऑनलाइन भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति के 6 माह तक निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगा रहने की जिम्मेदारी पंजीकृत ठेकेदार की होगी, ऐसा न करने पर पंजीकृत ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाएगा।
3. दिनांकः 11.09.2020 को अपरान्ह 02:00 बजे तक निविदा मूल्य की प्रति एवं जमानत धनराशि मूल रूप अन्य प्रपत्रों के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. एकल एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात् कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जाएगी।
6. समयवृद्धि मॉगे जाने का वहीं पंजीकृत ठेकेदार हकदार होगा, जिसे कतिपय कठिनाई है और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत् पूर्ण कर दिया है, अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थदण्ड के भागीदार होंगे।
7. कार्य प्रारम्भ की तिथि से एक सप्ताह में श्रम विभाग से श्रमिकों का पंजीकरण कराना तथा साइट का पंजीकरण अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में आपकी जमानत धनराशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
8. उपरोक्त कार्यों का स्थल सत्यापन कर प्राक्कलन एक माह पूर्व बनाया गया था, जो वर्तमान कार्यस्थल के अनुसार किया जाएगा।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल की फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
10. जिला पंचायत को दी गयी साल्वेन्सी का अन्यत्र प्रयोग नहीं किए जाने का ठेकेदार द्वारा पत्र दिया जाना होगा।
11. अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों से न्यूनतम निविदा प्राप्त होने की दशा में कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती में एक सप्ताह के अन्दर शासनादेश सं0–05/2019/2902/3–2–2019–198जी0/2018 दिनांकः 16 अगस्त 2019 के क्रम में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराते हुए शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा करते हुए ही अनुबन्ध गठित किया जाएगा। शासनादेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
12. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष महोदय में निहित है।
13. उपरोक्त परियोजनाओं में लेपित मार्गों में प्रयुक्त होने वाले मैक्सफॉल्ट एवं इमल्शन की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।

24.08.2020
अभियन्ता,
जिला पंचायत, श्रावस्ती।

24/08/2020
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, श्रावस्ती।